संस्था का नाम – श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

पंजीयन कमांक – 81/नागौर/2006–2007 दिनांक – 03.08.2006

तुलनात्मक विवरण
(संघ विधान व नियमावली)

संस्था की आम सभा दिनॉक 11.06.2024 में लिये गये संशोधन प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरण

क्रं.सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान	संशोधित विधान
1	संस्था का नाम :–	इस संस्था का नाम श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी है।	**यथावत**
2	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :–	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय :– कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पुर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।	यथावत
3	संस्था के उद्देश्य :–	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :– 1. बालकों में नैतिक मूल्यों का उन्नयन करना।	यथावत
		2. समाज में शिक्षा का विकास करना।	यथावत
		3. बालकों में राष्ट्रहित, सामाजिक, न्याय, पर्यावरण प्रेम, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना।	यथावत
		4. स्वास्थ्य शिक्षा, स्वावलम्बन की भावनाओं का विकास करना।	यथावत
		5. ग्रामीण बालकों को कान्वेन्ट स्कूलों की शिक्षा सुलभ कराना।	यथावत
		6. साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की शिक्षा देना।	यथावत
		7. बालक–बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक व नैतिक विकास करना।	यथावत
		8. बालक–बालिकाओं में उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा यथा एसटीसी, बीएड, शिक्षक प्रशिक्षण आदि शिक्षा का विकास करना।	यथावत
		9. बालक–बालिकाओं को कुरूतियों एवं रूढ़िवादिता का परित्याग करवाना।	यथावत
		10. बालक–बालिकाओं सामाजिक विकास एवं उत्थान प्रवृतियों को प्रोत्साहन करना।	यथावत
		11. राष्ट्रीय कार्यक्रमों के महत्व को समझना एवं इनकी क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करना।	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़ कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible]a Ram Godara
Designation : REGIS[illegible]AR
Date: 2024.09[illegible]5:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

		12. बालक–बालिकाओं में फिजूल खर्चों की प्रवृतियों को प्रोत्साहन करना।	यथावत
		13. बालक–बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	यथावत
		14. व्यावसायिक शिक्षा (एसटीसी, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी) आदि के संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	यथावत
		15. तकनीकी शिक्षा (आईटीआई, डीप्लोमा, पोलीटेक्नीकल, इंजिनियरिंग) के लिए संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	यथावत
		16. संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं स्वेच्छिक व वैतनिक दोनों प्रकार से लेना।	यथावत
		17. अनु. जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व गरीब बालक–बालिकाओं के लिए छात्रावासों का संचालन करना तथा ग्रामीण क्षेत्र के बालक, बालिकाओं के ए शिक्षा संस्थान तक परिवहन की व्यवस्था करना।	यथावत
		18. विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक व अकादमिक पाठ्यक्रमों के लिए नियमित दूरस्थ व पत्राचार पर आधारित शिक्षा केन्द्रों को संचालन करना।	यथावत
		19. छात्र–छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों के निर्माण के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंक आदि तथा व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करना।	यथावत
		20. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं द्वारा अर्जित या क्रय की गई चल एवं अचल सम्पतियों से निहित वास्तविक एवं व्यक्ति स्वत्वाधिकारों को अथवा बोंड्स प्रतिभूतियों व जमा राशियों में निहित	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09[illegible]5:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

		हितों को, जो कि संस्थान से सरोकार रखते हैं, को राज्य सरकार के विभाग, राष्ट्रीय व राज्य वित्तिय संस्थान, हुड्को, रीको, बैंक अथवा निजी क्षेत्र के विभक्ति, संस्थानों व व्यक्तियों के हक में बंधक/रहन रखकर ऋण सुविधा व आर्थिक सहायता करना।	
		21. मुकबधीर, मंदबुद्धि, नेत्रहीन तथा शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना एवं समस्त प्रकार के निःशक्तजनों को एक्ज 95 के तहत लाभान्वित करवाना तथा इनके लिए व्यावसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा, स्कील, तकनीकी शिक्षा, केन्द्रों की स्थापना करना,, स्पेशल बीएड, एवं स्पेशल बीएसटीसी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर, निःशक्तजनों को लाभान्वित करवाना।	यथावत
		22. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई स्कील डवलपमेन्ट योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं अन्य योजनाओं से भी महिलाओं एवं पुरूषों को लाभान्वित करवाना। तथा डिजीटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को लाभान्वित करवाना।	यथावत
		23. वृक्षारोपण कार्य, पर्यावरण एवं मृदा संरक्षण, वानिकी उत्थान, जल संरक्षण, स्वयं सहायता समूहों एवं किसान परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना व नशा उन्मूलन, बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, वैश्यावृति के विरूद्ध उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर तथा विचार गोष्ठियां, नुक्कड़ सभा व नाटकों का आयोजन करके जन जागृति पैदा करना।	यथावत
		नवीन	24. उच्च शिक्षा के उद्देश्य से एस.टी.सी., बीए., बी.एड., नर्सिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कम्प्यूटर शिक्षा, पीजीडीसीए, o लेवल कोर्स, अन्य कम्प्यूटर आधारित शिक्षण कोर्स,

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible]a Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible] [illegible]5:30 IST
Reason: Approved
Location: -

				विधि शिक्षण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सम्बंधित इंस्टीट्युट खोलना एवं शिक्षा प्रदान करने एवं कुशल शिक्षक तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
			नवीन	25. बालक–बालिकाओं के विकास हेतु कार्यक्षेत्र में विद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, दुरस्थ शिक्षा केन्द्र, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (B.ED., M.ED., N.T.T., D.EL.ED.) शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक, महाविद्यालय, एवं तकनीकि क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने हेतु आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु नर्सिंग कॉलेज, (ANM, GNM, B.SC NURSING, M.SC. NURSING,) पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, योग एवं आयुर्वेद कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, योग एवं शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि व पशुपालन शिक्षा प्रदान करने हेतु कृषि महाविद्यालय, पशुचिकित्सा, डिप्लोमा कॉलेज (LSA) एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करेगी तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय केनद्र एवं महाविद्यालय संस्थान के साथ आवासीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना।
				26. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी सरकारी–गैर सरकारी बैंक, NBFC, अन्य वित्तिय संस्थान से ऋण प्राप्त कर सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्था अपनी चल व अचल संपत्ति को ऋण लेने के लिए

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़ कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़ कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible]a Ram Godara
Designation : REGIS[illegible]AR
Date: 2024.09[illegible]5:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

			रेहन/बंधक रख सकती है।
		नवीन	27. छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावास, कोचिंग संस्थान की स्थापना कर संचालन करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।
4	सदस्यता :–	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें:– 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हो 3. पागल, दीवालिये न हो 4. संस्था के उद्देश्यों व रूचि व आस्था रखते हो 5. सस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो	यथावत
5	सदस्यों का वर्गीकरण :–	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :– 1. संरक्षक। 2. विशिष्ट 3. सम्माननीय 4. साधारण (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये।)	यथावत
6	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चंदा :–	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्य द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा। – 1. संरक्षक राशि 101/– वार्षिक/आजन्म 2 विशिष्ट राशि 101/– वार्षिक/आजन्म 3 सम्माननीय राशि 101/– वार्षिक 4 साधारण राशि 51/– वार्षिक उक्त राशि एक मुश्म वार्षिक की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।	यथावत
7	सदस्यता से निष्कासन :–	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :– 1. मृत्यु होने पर। 2. त्याग–पत्र देने पर। 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर। 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible] 15:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

		समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।	
8	साधारण सभा :–	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करना।	यथावत
9	साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होगें :– 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)	यथावत
10	साधारण सभा की बैठकें :–	साधारण सभा की बैठक के नियम :– 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री (सचिव) द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कौरम के अभाव में बैठक स्थापित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कौरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री(सचिव)/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible]5:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

		पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगें।	
11	कार्यकारिणी का गठन :–	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :– 1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. मन्त्री/सचिव – एक 4. कोषाध्यक्ष – एक 5. सदस्य – सत्रह (उक्त पदो के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 04 पदाधिकारी व 17 सदस्य, कुल 21 सदस्य होंगे।	यथावत
12	कार्यकारिणी का निर्वाचन :–	1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/~~अप्रत्यक्ष~~ प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।	यथावत
13	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :–	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:– 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना। 4. वैतनित कर्मचारियों को नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।	यथावत
14	कार्यकारिणी	बैठकें निम्न प्रकार हैं :–	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganpat Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.0 15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

	की बैठकें :–	1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	
15	प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–	संस्था के प्रबंधकारिणी के पदाधिकारीयों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगः– 1. अध्यक्ष : 1. बैठकों की अध्यक्षता करना। 2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। 3. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 4. बैठकें आहूत करना। 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। 2. उपाध्यक्ष : 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। 2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। 3 मन्त्री/सचिव : 1. बैठकें आहूत करना। 2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible] 15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

		रखना। 3. आय–व्यय का नियन्त्रण करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा भत्ता बिल आदि पास करना। 5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6. पत्र व्यवहार करना। 7. सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो। 4 कोषाध्यक्ष :– 1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना। 2 दैनिक लेखें पर नियन्त्रण रखना। 3 चन्दा/शुल्क अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।	
16	संस्था का कोष :–	संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :– 1- चन्दा 2- शुल्क 3- अनुदान 4- सहायता 5- राजकीय अनुदान 1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे सुरक्षित रखी जायेगी। 2 अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।	यथावत
17	कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें :– 1. अध्यक्ष 5,000/रू. 2. मन्त्री/सचिव 4,000/ रू. 3. कोषाध्यक्ष 4,000/रू. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी द्वारा कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें :– 1. अध्यक्ष 1,00,000/रू. 2. मन्त्री/सचिव 1,00,000/ रू. 3. कोषाध्यक्ष 1,00,000/रू. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible] 15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

संस्था का नाम – श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

पंजीयन कमांक – 81/नागौर/2006–2007 दिनांक – 03.08.2006

			प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।
18	संस्था का अंकेक्षण :–	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं डीडवाना–कुचामन को प्रस्तुत करने होंगे।	यथावत
19	संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन/परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत
20	संस्था का विघटन :–	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं डीडवाना–कुचामन को पंजीयन रद्द करने को पूर्ण अधिकार होगा।	यथावत
21	संस्था के लेखें जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार संस्थाएं डीडवाना–कुचामन को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	यथावत

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी आदि की सही व सच्ची प्रति है। (टिक मार्क करें) ✓

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.06 09:15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

संस्था का नाम – श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

पंजीयन कमांक – 81/नागौर/2006–2007 दिनांक – 03.08.2006

संघ विधान पत्र

क्रं. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान	संशोधित विधान
1	संस्था का नाम :–	इस संस्था का नाम श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी है।	यथावत
2	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :–	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय :– कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पुर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।	यथावत
3	संस्था के उद्देश्य :–	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :– 1. बालकों में नैतिक मूल्यों का उन्नयन करना।	यथावत
		2. समाज में शिक्षा का विकास करना।	यथावत
		3. बालकों में राष्ट्रहित, सामाजिक, न्याय, पर्यावरण प्रेम, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना।	यथावत
		4. स्वास्थ्य शिक्षा, स्वावलम्बन की भावनाओं का विकास करना।	यथावत
		5. ग्रामीण बालकों को कान्वेन्ट स्कूलों की शिक्षा सुलभ कराना।	यथावत
		6. सांम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की शिक्षा देना।	यथावत
		7. बालक–बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक व नैतिक विकास करना।	यथावत
		8. बालक–बालिकाओं में उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा यथा एसटीसी, बीएड, शिक्षक प्रशिक्षण आदि शिक्षा का विकास करना।	यथावत
		9. बालक–बालिकाओं को कुरूतियों एवं रूढ़िवादिता का परित्याग करवाना।	यथावत
		10. बालक–बालिकाओं सामाजिक विकास एवं उत्थान प्रवृतियों को प्रोत्साहन करना।	यथावत
		11. राष्ट्रीय कार्यक्रमों के महत्व को समझना एवं इनकी क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करना।	यथावत
		12. बालक–बालिकाओं में फिजूल खर्चों की प्रवृतियों को प्रोत्साहन करना।	यथावत
		13. बालक–बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible]5:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

		के शिक्षण संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	
		14. व्यावसायिक शिक्षा (एसटीसी, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी) आदि के संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	यथावत
		15. तकनीकी शिक्षा (आईटीआई, डीप्लोमा, पोलीटेक्नीकल, इंजिनियरिंग) के लिए संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	यथावत
		16. संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं स्वेच्छिक व वैतनिक दोनों प्रकार से लेना।	यथावत
		17. अनु. जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व गरीब बालक–बालिकाओं के लिए छात्रावासों का संचालन करना तथा ग्रामीण क्षेत्र के बालक, बालिकाओं के िए शिक्षा संस्थान तक परिवहन की व्यवस्था करना।	यथावत
		18. विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक व अकादमिक पाठ्यक्रमों के लिए नियमित दूरस्थ व पत्राचार पर आधारित शिक्षा केन्द्रों को संचालन करना।	यथावत
		19. छात्र–छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों के निर्माण के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंक आदि तथा व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करना।	यथावत
		20. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं द्वारा अर्जित या क्रय की गई चल एवं अचल सम्पतियों से निहित वास्तविक एवं व्यक्ति स्वत्वाधिकारों को अथवा बोंड्स प्रतिभूतियों व जमा राशियों में निहित हितों को, जो कि संस्थान से सरोकार रखते हैं, को राज्य सरकार के विभाग, राष्ट्रीय व राज्य वित्तिय संस्थान, हुड्को, रीको, बैंक अथवा निजी क्षेत्र के विभक्ति, संस्थानों व व्यक्तियों के हक में बंधक/रहन रखकर ऋण सुविधा व आर्थिक सहायता करना।	यथावत
		21. मुकबधीर, मंदबुद्धि, नेत्रहीन तथा शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना एवं समस्त प्रकार के निःशक्तजनों को एक्ज 95 के तहत	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible]a Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible] [illegible]5:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

		लाभान्वित करवाना तथा इनके लिए व्यावसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा, स्कील, तकनीकी शिक्षा, केन्द्रों की स्थापना करना,, स्पेशल बीएड, एवं स्पेशल बीएसटीसी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर, निःशक्तजनों को लाभान्वित करवाना।	
		22. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई स्कील डवलपमेन्ट योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं अन्य योजनाओं से भी महिलाओं एवं पुरूषों को लाभान्वित करवाना। तथा डिजीटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को लाभान्वित करवाना।	यथावत
		23. वृक्षारोपण कार्य, पर्यावरण एवं मृदा संरक्षण, वानिकी उत्थान, जल संरक्षण, स्वयं सहायता समूहों एवं किसान परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना व नशा उन्मूलन, बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, वैश्यावृति के विरूद्ध उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर तथा विचार गोष्ठियां, नुक्कड़ सभा व नाटकों का आयोजन करके जन जागृति पैदा करना।	यथावत
		नवीन	24. उच्च शिक्षा के उद्देश्य से एस. टी.सी., बीए., बी.एड., नर्सिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कम्प्यूटर शिक्षा, पीजीडीसीए, **O** लेवल कोर्स, अन्य कम्प्यूटर आधारित शिक्षण कोर्स, विधि शिक्षण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सम्बंधित इंस्टीट्युट खोलना एवं शिक्षा प्रदान करने एवं कुशल शिक्षक तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
		नवीन	25. बालक–बालिकाओं के विकास हेतु कार्यक्षेत्र में विद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, दुरस्थ शिक्षा केन्द्र, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (B.ED., M.ED., N.T.T., D.EL.ED.) शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक, महाविद्यालय, एवं तकनीकि क्षेत्र में शिक्षा

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़ कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.0_ _5:30 IST
Reason: Approved
Location: -

			प्रदान करने हेतु आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु नर्सिंग कॉलेज, (ANM, GNM, B.SC NURSING, M.SC. NURSING,) पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, योग एवं आयुर्वेद कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, योग एवं शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि व पशुपालन शिक्षा प्रदान करने हेतु कृषि महाविद्यालय, पशुचिकित्सा, डिप्लोमा कॉलेज (LSA) एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करेगी तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय केनद्र एवं महाविद्यालय संस्थान के साथ आवासीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना।
			26. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी सरकारी–गैर सरकारी बैंक, NBFC, अन्य वित्तिय संस्थान से ऋण प्राप्त कर सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्था अपनी चल व अचल संपत्ति को ऋण लेने के लिए रेहन/बंधक रख सकती है।
		नवीन	27. छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावास, कोचिंग संस्थान की स्थापना कर संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.0? ?5:30 IST
Reason: Approved
Location: -

संस्था का नाम – श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

पंजीयन क्रमांक – 81/नागौर/2006–2007 दिनांक – 03.08.2006

विधान नियमावली

क्रं. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान	संशोधित विधान
1	संस्था का नाम :–	इस संस्था का नाम श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी है।	यथावत
2	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :–	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय :– कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पुर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।	यथावत
3	संस्था के उद्देश्य :–	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :– 1. बालकों में नैतिक मूल्यों का उन्नयन करना।	यथावत
		2. समाज में शिक्षा का विकास करना।	यथावत
		3. बालकों में राष्ट्रहित, सामाजिक, न्याय, पर्यावरण प्रेम, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना।	यथावत
		4. स्वास्थ्य शिक्षा, स्वावलम्बन की भावनाओं का विकास करना।	यथावत
		5. ग्रामीण बालकों को कान्वेन्ट स्कूलों की शिक्षा सुलभ कराना।	यथावत
		6. साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की शिक्षा देना।	यथावत
		7. बालक–बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक व नैतिक विकास करना।	यथावत
		8. बालक–बालिकाओं में उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा यथा एसटीसी, बीएड, शिक्षक प्रशिक्षण आदि शिक्षा का विकास करना।	यथावत
		9. बालक–बालिकाओं को कुरूतियों एवं रूढ़िवादिता का परित्याग करवाना।	यथावत
		10. बालक–बालिकाओं सामाजिक विकास एवं उत्थान प्रवृतियों को प्रोत्साहन करना।	यथावत
		11. राष्ट्रीय कार्यक्रमों के महत्व को समझना एवं इनकी क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करना।	यथावत
		12. बालक–बालिकाओं में फिजूल खर्चों की प्रवृतियों को प्रोत्साहन करना।	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : [illegible]AR
Date: 2024.09.[illegible]5:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

		13. बालक–बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	यथावत
		14. व्यावसायिक शिक्षा (एसटीसी, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी) आदि के संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	यथावत
		15. तकनीकी शिक्षा (आईटीआई, डीप्लोमा, पोलीटेक्नीकल, इंजिनियरिंग) के लिए संस्थान खोलना और उन्हें संचालित करना।	यथावत
		16. संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं स्वेच्छिक व वैतनिक दोनों प्रकार से लेना।	यथावत
		17. अनु. जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व गरीब बालक–बालिकाओं के लिए छात्रावासों का संचालन करना तथा ग्रामीण क्षेत्र के बालक, बालिकाओं के ए शिक्षा संस्थान तक परिवहन की व्यवस्था करना।	यथावत
		18. विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक व अकादमिक पाठ्यक्रमों के लिए नियमित दूरस्थ व पत्राचार पर आधारित शिक्षा केन्द्रों को संचालन करना।	यथावत
		19. छात्र–छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों के निर्माण के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंक आदि तथा व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करना।	यथावत
		20. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं द्वारा अर्जित या क्रय की गई चल एवं अचल सम्पतियों से निहित वास्तविक एवं व्यक्ति स्वत्वाधिकारों को अथवा बोंड्स प्रतिभूतियों व जमा राशियों में निहित हितों को, जो कि संस्थान से सरोकार रखते हैं, को राज्य सरकार के विभाग,	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible]a Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible] [illegible]:15:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

		राष्ट्रीय व राज्य वित्तिय संस्थान, हुड्को, रीको, बैंक अथवा निजी क्षेत्र के विभक्ति, संस्थानों व व्यक्तियों के हक में बंधक/रहन रखकर ऋण सुविधा व आर्थिक सहायता करना।	
		21. मुकबधीर, मंदबुद्धि, नेत्रहीन तथा शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना एवं समस्त प्रकार के निःशक्तजनों को एक्ज 95 के तहत लाभान्वित करवाना तथा इनके लिए व्यावसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा, स्कील, तकनीकी शिक्षा, केन्द्रों की स्थापना करना,, स्पेशल बीएड, एवं स्पेशल बीएसटीसी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर, निःशक्तजनों को लाभान्वित करवाना।	यथावत
		22. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई स्कील डवलपमेन्ट योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं अन्य योजनाओं से भी महिलाओं एवं पुरूषों को लाभान्वित करवाना। तथा डिजीटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को लाभान्वित करवाना।	यथावत
		23. वृक्षारोपण कार्य, पर्यावरण एवं मृदा संरक्षण, वानिकी उत्थान, जल संरक्षण, स्वयं सहायता समूहों एवं किसान परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना व नशा उन्मूलन, बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, वैश्यावृति के विरूद्ध उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर तथा विचार गोष्ठियां, नुक्कड़ सभा व नाटकों का आयोजन करके जन जागृति पैदा करना।	यथावत
		नवीन	24. उच्च शिक्षा के उद्देश्य से एस.टी.सी., बीए., बी.एड., नर्सिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कम्प्यूटर शिक्षा, पीजीडीसीए, o लेवल कोर्स, अन्य कम्प्यूटर आधारित शिक्षण कोर्स, विधि शिक्षण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सम्बंधित इंस्टीट्युट

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.0 15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

			खोलना एवं शिक्षा प्रदान करने एवं कुशल शिक्षक तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
		नवीन	25. बालक–बालिकाओं के विकास हेतु कार्यक्षेत्र में विद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, दुरस्थ शिक्षा केन्द्र, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (B.ED., M.ED., N.T.T., D.EL.ED.) शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक, महाविद्यालय, एवं तकनीकि क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने हेतु आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु नर्सिंग कॉलेज, (ANM, GNM, B.SC NURSING, M.SC. NURSING,) पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, योग एवं आयुर्वेद कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, योग एवं शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि व पशुपालन शिक्षा प्रदान करने हेतु कृषि महाविद्यालय, पशुचिकित्सा, डिप्लोमा कॉलेज (LSA) एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करेगी तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय केनद्र एवं महाविद्यालय संस्थान के साथ आवासीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना।
			26. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी सरकारी–गैर सरकारी बैंक, NBFC, अन्य वित्तिय संस्थान से ऋण प्राप्त कर सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्था अपनी चल व अचल संपत्ति को ऋण लेने के लिए रेहन/बंधक रख सकती है

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़ कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़ कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganpa Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.0 15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

संस्था का नाम – श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

पंजीयन कमांक – 81/नागौर/2006–2007 दिनांक – 03.08.2006

		नवीन	27. छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावास, कोचिंग संस्थान की स्थापना कर संचालन करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।
4	सदस्यता :–	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें:– 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हो 3. पागल, दीवालिये न हो 4. संस्था के उद्देश्यों व रूचि व आस्था रखते हो 5. सस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो	यथावत
5	सदस्यों का वर्गीकरण :–	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :– 1. संरक्षक। 2. विशिष्ट 3. सम्माननीय 4. साधारण (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये।)	यथावत
6	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चंदा :–	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्य द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा। – 1. संरक्षक राशि 101/– वार्षिक/आजन्म 2 विशिष्ट राशि 101/– वार्षिक/आजन्म 3 सम्माननीय राशि 101/– वार्षिक 4 साधारण राशि 51/– वार्षिक उक्त राशि एक मुश्म वार्षिक की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।	यथावत
7	सदस्यता से निष्कासन :–	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :– 1. मृत्यु होने पर। 2. त्याग–पत्र देने पर। 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर। 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.[illegible] 15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

संस्था का नाम – श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

पंजीयन कमांक – 81/नागौर/2006–2007 दिनांक – 03.08.2006

8	साधारण सभा :–	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करना।	यथावत
9	साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होगें :– 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)	यथावत
10	साधारण सभा की बैठकें :–	साधारण सभा की बैठक के नियम :– 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड्ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री (सचिव) द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कौरम के अभाव में बैठक स्थापित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कौरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री(सचिव)/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.0_ _5:30 IST
Reason: Approved
Location: -

		इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगें।	
11	कार्यकारिणी का गठन :–	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :– 1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. मन्त्री/सचिव – एक 4. कोषाध्यक्ष – एक 5. सदस्य – सत्रह (उक्त पदो के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 04 पदाधिकारी व 17 सदस्य, कुल 21 सदस्य होंगे।	यथावत
12	कार्यकारिणी का निर्वाचन :–	1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/~~अप्रत्यक्ष~~ प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।	यथावत
13	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :–	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:– 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना। 4. वैतनित कर्मचारियों को नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।	यथावत
14	कार्यकारिणी की बैठकें :–	बैठकें निम्न प्रकार हैं :– 1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़ कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.0? 15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

		होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	
15	प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–	संस्था के प्रबंधकारिणी के पदाधिकारीयों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगः– 1. अध्यक्ष : 1. बैठकों की अध्यक्षता करना। 2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। 3. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 4. बैठकें आहूत करना। 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। 2. उपाध्यक्ष : 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। 2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। 3 मन्त्री/सचिव : 1. बैठकें आहूत करना। 2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना। 3. आय–व्यय का नियन्त्रण करना।	यथावत

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़ कुचामन सिटी (नागौर)

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.0 15:30 IST
Reason: Approved
Location: -

		4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा भत्ता बिल आदि पास करना। 5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6. पत्र व्यवहार करना। 7. सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो। 4 कोषाध्यक्ष :– 1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखें पर नियन्त्रण रखना। 3. चन्दा/शुल्क अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।	
16	संस्था का कोष :–	संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :– 1- चन्दा 2- शुल्क 3- अनुदान 4- सहायता 5- राजकीय अनुदान 1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे सुरक्षित रखी जायेगी। 2 अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।	यथावत
17	कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें :– 1. अध्यक्ष 5,000/रू. 2. मन्त्री/सचिव 4,000/ रू. 3. कोषाध्यक्ष 4,000/रू. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें :– 1. अध्यक्ष 1,00,000/रू. 2. मन्त्री/सचिव 1,00,000/ रू. 3. कोषाध्यक्ष 1,00,000/रू. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ga[illegible] Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09[illegible]5:30 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: -

संस्था का नाम – श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

पंजीयन कमांक – 81/नागौर/2006–2007 दिनांक – 03.08.2006

18	संस्था का अंकेक्षण :–	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं डीडवाना–कुचामन को प्रस्तुत करने होंगे।	यथावत
19	संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन/परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत
20	संस्था का विघटन :–	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं डीडवाना–कुचामन को पंजीयन रद्द करने को पूर्ण अधिकार होगा।	यथावत
21	संस्था के लेखें जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार संस्थाएं डीडवाना–कुचामन को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	यथावत

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान नियमावली श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी आदि की सही व सच्ची प्रति है। (टिक मार्क करें) ✓

सुनीता
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कमला
सचिव
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

बुधाराम
कोषाध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड कुचामन सिटी (नागौर)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.09.06 09:15:30 IST
Reason: Approved
Location: -